Q. 1 जंगम सम्पत्ति से आप क्या समझते हैं ?

A.

धारा 22 के अनुसार – जंगम संपत्ति इन शब्दों से यह आशयित है कि इनके अन्तर्गत हर विवरण की मूर्त संपत्ती आती है,

किन्तु भूमि और वे चीजें, जो पृथ्वी से जुडी(भूबद्ध) हों या पृथ्वी (भूबद्ध) के किसी चीज से स्थायी रुप से जकडी हुई हों, इनके अन्तर्गत नहीं आती ।

Q. 2 "सदोष अभिलाभ" "सदोष हानि" क्या है ?

A.

सदोष अभिलाभ

धारा 23 के अनुसार- सदोष अभिलाभ विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी सम्पत्ति का अभिलाभ है जिसका वैध रूप से हकदार अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति न हो ।

सदोष हानि

विधि विरूद्ध साधनों द्वारा ऐसी सम्पत्ति की हानि है , जिसका वैध रूप से हकदार हानि उठाने वाला व्यक्ति हो (धारा 23)

Q. 3 लोक सेवक ' किसे कहते हैं ? क्या विधायक अथवा नगर पार्षद ' लोक सेवक ' की श्रेणी में आते हैं ?

A. वह व्यक्ति जो सरकार को अपनी सेवाएं देकर वेतन ले या लोक कर्तव्य के पालन के लिये उससे कमीशन , मेहनताना या फीस आदि के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त करें ।

माननीय उच्चतम न्यायालय के न्याय - निर्णयों के अनुसार , ये दोनों ही नहीं कहे जा सकते है ।

(धारा 21)

Q. 4 धारा 34 के अंतर्गत संयुक्त दायित्व के सिद्धान्त के आवश्यक तत्व बताइये ?

Ans.

(1) एक आपराधिक कार्य ,

(2) आपराधिक कार्य एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया हो ,

(3) सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए किया गया हो ,

(4) ऐसे व्यक्तियों के बीच सामान्य आशय पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार हो , में

(5) अपराध में सभी अभियुक्त किसी न किसी रूप में सम्मिलित हो ।

Q. 5 धारा 34 एवं धारा 149 में सर्वप्रमुख दो अंतर बताइये ?

(1) धारा 34 में कार्य एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा सामान्य आशय को अग्रसर करने हेतु किया जाता है , जबकि धारा 149 में पाँच या अधिक व्यक्तियों द्वारा सामान्य उद्देश्यों को

(2) धारा 34 संयुक्त दायित्व के सिद्धान्त को प्रतिपादित करती है , परन्तु कोई विशिष्ट अपराध का सृजन नहीं करती

है , जब कि धारा 149 संयुक्त दायित्व के सिद्धान्त की घोषणा करते हुए विशिष्ट अपराध का सृजन करती है

Q. 6 क्षति शब्द को स्पष्ट कीजिए ? क्षति के आवश्यक अवयव कौन से हैं ?

A. धारा 44 के अनुसार क्षति शब्द किसी प्रकार की अपहानि का द्योतक है , जो किसी व्यक्ति के शरीर , मन , ख्याति या सम्पत्ति को अवैध रूप से कारित हुआ हो ।

(i) किसी व्यक्ति को कोई अपहानि कारित करना ,
(ii) ऐसे अपहानि अवैध रूप से कारित करना
(iii) ऐसी अपहानि शरीर , मन , ख्याति या सम्पत्ति से सम्बन्धित हो (धारा 44)

Q. 7 एक व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छया कारित करता हुआ कब कहा जाता है ?

A. एक व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छया कारित करता है ,

(1) यदि वह उसे उन साधनों द्वारा कारित करता है , जिनके द्वारा उसे कारित करना उसका आशय था , या (2) वह उन

साधनों द्वारा कारित करता है जिन साधनों को काम में लाते समय वह यह जानता था कि उसका कारित होना संभाव्य था , या

(3) वह उन साधनों द्वारा कारित करता है , जिन साधनों को काम में लाते समय वह यह विश्वास करने का कारण रखता था कि उसका कारित होना संभाव्य है ।

(धारा 39)